

Order sheet [Contd]

case No: ba-148/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>04/05/17</p> <p>03:00 pm To 03:10pm</p>	<p>आवेदक विवेक कुमार सहित श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता उप0। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक उप0। आवेदक की ओर से असल लाइसेंस प्रस्तुत कियसा गया। जिसके अवलोकन के पश्चात वापस किया गया। जिसकी फोटोप्रति आवेदन के साथ संलग्न है।</p> <p>आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा-452 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसके भाई संतोष को प्रकरण में झूठा फसाया गया था। उसकी लाइसेंसी बंदूक पुलिस वाले घर से ले गए थे। उससे कोई बंदूक जप्त नहीं हुई थी। आवेदक लाइसेंस शुदा बंदूक का स्वामी है। उसके भाई संतोष के संबंध में प्रकरण का निराकरण हो चुका है और उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। अब इस प्रकरण में बंदूक की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आधारों पर जप्तशुदा बंदूक को वापस किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से विशेष विरोध नहीं किया गया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त संतोष एवं अन्य चार अभियुक्त देवेन्द्र, शिवसिंह, किशन उर्फ कृष्णा तथा रूक्मेश के विरुद्ध धारा-399, 400 एवं 402 भां0दं0सं0 तथा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध होकर विवेचना पश्चात अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें तीन अभियुक्तगण संतोष, देवेन्द्र एवं शिवसिंह की विचारण होकर उन्हें दोषमुक्त किया गया है। शेष दो अभियुक्तगण किशन एवं रूक्मेश्या फरार होने के कारण उनका विचारण नहीं हो सका था।</p> <p>इस मामले में अभियोजन के अनुसार संतोष के आधिपत्य से उक्त 12 बोर की बंदूक क्रमांक 24088 एवं 30 कारतूस एवं एक मोबाइल जप्ता हुए है। किशन उर्फ कृष्णा से एक कट्टा 315 बोर का एवं दो कारतूस 315 बोर के तथा रूक्मेश से एक मोटरसाइकिल और लोहे की रॉड जप्त हुई है। अन्य किसी अभियुक्तगण से अन्य कोई जप्ती नहीं हुई है।</p> <p>जहां कि अभियुक्त संतोष के संबंध में विचारण पूर्ण हो चुका है और उससे बंदूक जप्त होना बताई गई है एवं इन परिस्थितियों में न तो विवेचना में और न ही उसके प्रकरण में बंदूक की अब कोई आवश्यकता है। निर्णय दिनांक 26.11.16 को किया जा चुका है। जिसकी कोई अपील होना भी प्रकट नहीं है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में जहां कि उक्त बंदूक की प्रकरण में अब</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>कोई आवश्यकता नहीं है, उसे अनावश्यक रूप से रखे रहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उसे लाइसेंसधारी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत किए गए लाइसेंस का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि विवेक कुमार का उक्त लाइसेंस दिनांक 31.12.17 तक के लिए रिन्यू है। जिस पर उक्त बंदूक क्रमांक 24088 चढ़ाया गया है। इस प्रकार आवेदक उक्त बंदूक का स्वामी होना प्रकट होता है। अतः आवेदक विवेक कुमार के आवेदन अंतर्गत धारा-452 दं० प्र० सं० स्वीकार किया गया। आवेदक की ओर से 50,000/-रुपए का इस आशय का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किए जाए कि जब भी न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाएगा, वह उक्त बंदूक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेगा, तो उसे उक्त जप्तशुदा बंदूक सुपुर्दगी पर दी जाए।</p> <p>इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 42/15 में संलग्न की जावे।</p> <p>नतीजा दर्ज कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावें।</p> <p style="text-align: right;">(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड</p>	